


कार्यालय, अंचल अधिकारी, अड़की खूँटी।

आदेश फलक

जिला:- वाद सं०:- 527 T.R / 2020-21 सन्

विषय:- भूमि बन्दोवस्ती नियमितिकरण करने के संबंध में।


आदेश का क०सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश प की गई कार्रवाई : बारे में										
21/08/2020	<p>जमाबंदीदार श्री/ श्रीमती <u>सौराई कुशा</u> पिता/पति <u>गुरुवा कुशा</u></p> <p>मौजा <u>जोरगा</u> थाना-अड़की, जिला खूँटी के नाम से पंजी -II पृष्ठ संख्या- में दर्ज है। उक्त भूमि बन्दोवस्ती वाद सं०- <u>01</u> / <u>95-96</u> के आधार पर दर्ज है।</p> <p>जमाबंदीदार सुयोग्य श्रेणी के <u>अनुसूचित जाति</u> के सदस्य है एवं भूमिहीन है। कायम जमाबंदी संदिग्ध है।</p> <p>भूमि की विवरणी:-</p> <table border="1" data-bbox="228 940 1446 1444"> <thead> <tr> <th>मौजा</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>प्लॉट सं०</th> <th>रकबा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>जोरगा</u></td> <td><u>262</u></td> <td><u>142</u></td> <td><u>1557</u></td> <td><u>0.50 (000)</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-06/भूमि का नियमितीकरण-89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें, पुनः अभिलेख दिनांक:- <u>31/08/2020</u> को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">  अंचल अधिकारी अड़की। </p>	मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा	<u>जोरगा</u>	<u>262</u>	<u>142</u>	<u>1557</u>	<u>0.50 (000)</u>	
मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा								
<u>जोरगा</u>	<u>262</u>	<u>142</u>	<u>1557</u>	<u>0.50 (000)</u>								

31/08/2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया।/संबंधित राजस्व उप निरीक्षक का स्थल जाँच/भौतिक सत्यापन/ दखल-कब्जा संबंधी प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है तथा सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक:-06/ भूमि नियमितिकरण- 89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार भूमि के नियमितिकरण हेतु अनुशंसा किये हैं।


अतः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के स्थल जाँच/भौतिक सत्यापनोपरान्त/दखल-कब्जा एवं अनुशंसा के आधार पर जमाबंदीदार श्री/श्रीमती सोहराई कुंज
..... पिता/पति कुंज कुंज मौजा-जार्गा थाना-अड़की,
जिला-खूँटी के नाम से मौजा-जार्गा थाना नं० 262 खाता सं० 142
प्लॉट सं० 1557 रकबा- 0.50 एकड़ लगान रुपये अलावे
शेष पर भूमि बन्दोबस्ती को नियमितिकरण की स्वीकृति दी जाती हैं

तदनुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि पंजी-II में तदनुरूप ऑनलाईन प्रविष्टि करेंगे।


अंचल अधिकारी,
अड़की।

अभिलेख उपस्थापित किया गया। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा मौजा-जार्गा
..... थाना नं० 262 के पंजी- II भौलुम (VOL-.....) के पृष्ठ संख्या-..... पर
ऑनलाईन प्रविष्टि कर आवश्यक सुधार कर लिया गया है।

अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती हैं
अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।


अंचल अधिकारी,
अड़की।